कार्यालय जिला परिषद, हजारीबाग।

–: आम सूचना :–

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हजारीबाग जिला परिषद चौक के बगल में नव निर्मित बहुद्देशीय बहुमंजिला भवन के भूतल प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल को 20 वर्षो के लिए लीज पर देने हेतु दिनांक 15/09/2018 को 2:00 बजे अपराहन् तक जमानत की राशि एवं कागजात लिया जायेगा तथा 3:00 बजे अपराहन् में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, हजारीबाग के सभागार में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा बन्दोबस्ती की जायगी। जो व्यक्ति/संस्था बन्दोबस्ती में भाग लेना चाहते है, वे निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन करते हुए निर्धारित समय पर डाक में भाग ले सकते है। नियम एवं शर्ते तथा अन्य जानकारी कार्यालय के सूचना पट्ट अथवा Web Site- www.hazaribag.nic.in पर देखा जा सकता है।

–: शर्ते :–

1. उक्त भवन के भूतल को 3000/– रू0 प्रति वर्गफीट एवं प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तल को 2700/– रू0 प्रति वर्गफीट के न्यूनतम दर के आधार पर बीस वर्षो के लिए लीज पर दिया जायेगा।
2. इच्छुक व्यक्ति/संस्था के द्वारा भूतल के लिए डाक में भाग लेने के लिए न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि 15321000.00 (एक करोड़ तिरपन लाख इक्कीस हजार) रू0 का 15 प्रतिशत 2298150.00 (बाईस लाख अंठान्वे हजार एक सौ पचास) रू0 जमानत के रूप में बैंक ड्राफ्ट द्वारा सचिव, जिला परिषद, हजारीबाग के पदनाम से जिला परिषद, हजारीबाग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
3. इच्छुक व्यक्ति/संस्था के द्वारा प्रथम तल के लिए डाक में भाग लेने के लिए न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि 14310000.00 (एक करोड़ तैंतालीस लाख दस हजार) रू0 का 15 प्रतिशत 2146500.00 (इक्कीस लाख छियालीस हजार पांच सौ) रू0 जमानत के रूप में बैंक ड्राफ्ट द्वारा सचिव, जिला परिषद, हजारीबाग के पदनाम से जिला परिषद, हजारीबाग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
4. इच्छुक व्यक्ति/संस्था के द्वारा द्वितीय तल के लिए डाक में भाग लेने के लिए न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि 14094000.00 (एक करोड़ चालीस लाख चौरान्वे हजार) रू0 का 15 प्रतिशत 2114100.00 (इक्कीस लाख चौदह हजार एक सौ) रू0 जमानत के रूप में बैंक ड्राफ्ट द्वारा सचिव, जिला परिषद, हजारीबाग के पदनाम से जिला परिषद, हजारीबाग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. इच्छुक व्यक्ति/संस्था के द्वारा तृतीय तल के लिए डाक में भाग लेने के लिए न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि 14094000.00 (एक करोड़ चालीस लाख चौरान्वे हजार) रू0 का 15 प्रतिशत 2114100.00 (इक्कीस लाख चौदह हजार एक सौ) रू0 जमानत के रूप में बैंक ड्राफ्ट द्वारा सचिव, जिला परिषद, हजारीबाग के पदनाम से जिला परिषद, हजारीबाग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
6. उच्चतम बोली द्वारा राशि निर्धारित होने के उपरांत एक माह के अन्दर बंदोबस्तधारी को अपने खर्च पर निर्धारित प्रावधान के आधार पर लीज का विधिवत निबंधन करना अनिवार्य होगा। निर्धारित निबंधन एवं एकरारनामा स्टाम्प शुल्क की राशि बन्दोबस्तधारी को स्वंय वहन करना होगा।
7. सफल बंदोबस्तधारी को सरकार द्वारा निर्धारित सेवाकर की राशि अलग से भुगतान करना अनिवार्य होगा।
8. स्वीकृत डाक की संपूर्ण राशि डाक की प्रक्रिया समाप्ति के उपरांत एक माह के अन्दर सफल बन्दोबस्तधारी को बैंक ड्राफ्ट द्वारा सचिव, जिला परिषद, हजारीबाग के पदनाम से जिला परिषद, हजारीबाग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधी के अन्दर राशि जमा नहीं करने की स्थिति में बन्दोबस्तधारी द्वारा जमा की गई जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं पुनः डाक प्रकाशित किया जायेगा, जिसमें वे भाग नहीं ले पाएगें।
9. यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वीकृत डाक की जमा की गई संपूर्ण राशि आप्रति देय (Non refundable) होगी तथा कालांतर में राशि वापसी हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा। सभी तलो के सुरक्षित जमा राशि पन्द्रह प्रतिशत जमा करना है, परन्तु राशि की गणना प्रति वर्गफीट कारपेट एरिया पर होगा। उसी के अनुसार जो राशि आएगा पन्द्रह प्रतिशत राशि के पश्चात् आंवटित व्यक्ति को जमा करना होगा।
10. आवंटित भवन में किसी भी प्रकार की गैर कानूनी/सरकार द्वारा वर्जीत कार्य/अवैद्य वस्तुओं का व्यापार आदि कार्यो के उपयोग पर प्रतिबंध होगा।
11. असफल डाककर्त्ताओं की जमानत की राशि डाक समाप्ति के तुरंत बाद वापस कर दी जायगी।
12. जिन व्यक्तियों के पास जिला परिषद का पूर्व में कोई बकाया राशि है तो वे डाक में भाग लेने के पूर्व बकाया राशि जमा करेंगे, अन्यथा उन्हें डाक में भाग लेने नहीं दिया जायेगा।
13. डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों/संस्था को अपना पहचान पत्र/पैन कार्ड एवं स्वच्छ चरित्र प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति जमा करना अनिवार्य होगा तथा मूल प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. सफल बन्दोबस्तधारी के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले बिजली एवं जलापूर्ति का व्यय स्वंय वहन करना होगा।
15. आवंटित भवन में की गई मूलभूत संरचनओं में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार बन्दोबस्तधारी को नहीं होगा। आवश्यकता अनुसार जिला परिषद से अनुमति के उपरांत अस्थाई संरचना तैयार किया जा सकेगा।
16. आवंटित भवन की प्रतिदिन साफ–सफाई, शौचालय सुव्यवस्था, सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य बन्दोबस्तधारी को ही सम्पादित करना होगा।
17. भविष्य में जिला परिषद द्वारा सरकारी प्रावधानो अन्तर्गत कोई शर्त/नियम लगाए जाते है तो बन्दोबस्तधारी को उसका भी अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
18. उपरोक्त प्रक्रिया में भविष्य में किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला परिषद का निर्णय अंतिम होगा।
19. बिना कारण बताये डाक को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
20. विस्तृत जानकारी हेतु जिला अभियंता से कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

उप विकास आयुक्त,
–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, हजारीबाग।